राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नरसी बनाम सुभाषचन्द शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.5.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | रेस्पो. संख्या 3,4,6,8,9,10 की और से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया | कैवियटकर्ता को रजिस्टर्ड नोटिस जारी हुये एक माह से अधिक समय हो जाने के पश्चात भी मूल नोटिस अथवा एडी रसीद इस न्यायालय को प्राप्त नही हुये है | अत: कैवियटकर्ता की तामील मानी जाती है | अधिवक्ता प्रार्थी अनिवार्य रूप से अप्रार्थी संख्या 1 की तामील हेतु रजिस्टर्ड/साधारण नोटिस पेश करे, जो पेश होने पर बाद जाँच जारी हो | पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 की इन्तजार तामील हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो |	
18.5.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस चस्पान्दगी से प्राप्त हुआ | अप्रार्थी संख्या 1 को निरन्तर आवाजे लगवायी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अप्रार्थी सख्या 1 की तामील पूर्ण मानी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 20/05/2026 को पेश हो |	
20.5.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4, 8 व 9 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2024 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री किया गया | जिससे व्यथित होकर रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2024 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 1403/2025 प्रस्तुत की गयी | जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07/11/2025 पारित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2024 को रेस्पो. संख्या 1 सुभाषचन्द शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा द्वारा क्रय की गयी प्रश्नाधीन भूमि में से संपरिवर्तन भूमि अर्थात 3025 वर्गगज तक निरस्त करते हुये प्रशनगत भूमि में से संपरिवर्तन 3025 वर्गगज भूमि का पृथक से राजस्व रिकार्ड में खाता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी नरसी द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नरसी बनाम सुभाषचन्द शर्मा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06/2026	

इस न्यायालय के समक्ष यह रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र रिव्यु पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस को एक माह से अधिक होना धारित कर एकपक्षीय आदेश दिनांक 07/11/2025 पारित किया गया था | इस सन्दर्भ में प्रार्थी के कथन न्यायोचित्त प्रतीत होते है कि उन्हें सूचना/सुनवाई किये बगैर ही आदेश दिनांक 07/11/2025 पारित किया गया है, जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये है | जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है, जिससे प्रकरण के तथ्यों का अपील में पारित निर्णय दिनांक 07/11/2025 में समुचित विवेचन नही हो पाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में मूल अपील में पारित निर्णय दिनांक 07/11/2025 को निरस्त कर मूल अपील पत्रावली को दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त निर्णय पारित करने हेतु नियत किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाता है एवं अपील संख्या 1403/2025 में पारित निर्णय दिनांक 07/11/2025 रिव्यू कर निरस्त किया जाकर अपील पत्रावली को दोनों पक्षों की सुनवाई कर गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु पुन: नम्बर पर ली जाकर नियत किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है |

तदनुसार प्रार्थना पत्र रिव्यू फैसल शुमार होकर सलग्न मूल पत्रावली रहे |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर